"चेकों / लिखतों की संग्रहण नीति"

"CHEQUE/INSTRUMENTS COLLECTION POLICY"

1. **प्रस्तावना**

भुगतान और निपटान प्रणाली में हुए औद्योगिक विकास और परिचालनगत प्रणाली तथा प्रक्रिया में अनेक बैंकों द्वारा किये गए गुणात्मक परिवर्तन के कारण, सबके लिए समान नियमों का निर्धारण पर्याप्त नहीं माना गया है। अतः चेक की राशि की वसूली और ग्राहकों को समय पर निधि मुहैया करने में कौशल प्राप्ति, बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति के माध्यम से बेहतर रीति द्वारा ही संभव है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए स्थानीय / बाहरी चेकों को तुरन्त जमा करने, स्थानीय / बाहरी लिखतों की वसूली हेतु समय सीमा का निर्धारण करने और वसूली में विलम्ब के लिए ब्याज का भुगतान करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में नीति तैयार करने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया था।

2. **उद्देश्य / प्रयोजन**

इस नीति का समग्र रूप से उद्देश्य चेकों एवं लिखतों को बैंक के ग्राहकों की ओर से संग्रहण करने के लिए एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करना, ऐसे मानदण्ड़ों का अनुपालन करना एवं विलम्ब के मामले में ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करना है।

यह नीति ग्राहकों के साथ बर्ताव में पारदर्शिता एवं शुद्धता के सिद्धान्त पर आधारित है। बैंक अपने ग्राहकों को शीघ्र संग्रहण सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है।

3. **कवरेज**

बैंक की चेकों/लिखतों की संग्रहण नीति में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है –

- स्थानीय / बाहरी चेकों / लिखतों का संग्रहण
- स्थानीय / बाहरी चेकों / लिखतों की वसूली के लिए समय सीमा का निर्धारण
- वसूली में विलम्ब के लिए ब्याज का भुगतान
- मार्ग में लिखतों के खो जाने पर कार्यवाही

4. **संग्रहण हेतु व्यवस्था**

4.1 बैंक की सभी शाखाएं अपने व्यवसाय समय (**Business Hours**) के समय संग्रहण/समाशोधन हेतु चेक/लिखत स्वीकार करेंगी।

4.2 **स्थानीय चेक**

स्थानीय केन्द्र पर देय सभी चेक और अन्य परक्राम्य लिखत, उस केन्द्र पर विद्यमान समाशोधन विधि द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे। पूर्व में निर्दिष्ट समय सीमा तक शाखा के काउन्टर पर जमा किये गए अथवा शाखा परिसर में रखे गये चेक ड्रॉप बॉक्स में डाले गये चेक अगले कार्य दिवस को समाशोधन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। निर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात प्रस्तुत चेक उससे अगले समाशोधन चक्र में समाशोधित किये जाएंगे। बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में राशि उस दिन जमा की जाएगी जिस दिन समाशोधन का निपटान होगा। ऐसी जमा की गयी राशि के आहरण की अनुमति, उस केन्द्र के समाशोधन गृह द्वारा चेक लौटाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी।

सभी संबंधित शाखाओं के परिसर में एवं चेक ड्राप बॉक्स पर अगले दिन संग्रहण हेतु प्रेषण के लिए निर्धारित समय सीमा प्रदर्शित की जाएगी।

ऐसे केन्द्रों पर स्थित बैंक की शाखाएं, जहाँ समाशोधन गृह कार्यरत नहीं है, स्थानीय चेकों को अदाकर्ता बैंक शाखा के काउन्टर पर भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगी एवं यह बैंक का दायित्व होगा कि यथाशीघ्र राशि को संबंधित खाते में जमा किया जाए।

हमारी शाखाओं पर आहरित स्थानीय (LOCAL) चेक ग्राहकों के खातों में उसी दिन जमा किया जाएगा।

4.3 **बाह्य चेक**

i. बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म पर है। अतः बैंक की ही अन्य बाहरी केन्द्रों पर स्थित शाखाओं पर पूर्व निर्धारित सीमा तक की राशि के आहरित चेकों/लिखतों के सम्बन्ध में ग्राहकों को उसी दिन राशि जमा किए जाने की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

ii. सामान्यतः बाह्य केन्द्रों के अन्य बैंकों (जो सीटीएस समाशोधन प्रणाली से जुड़ी हुई है) पर आहरित सीबीएस चेकों का संग्रहण बैंक की सीटीएस समाशोधन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

iii. उन केन्द्रों के लिए, जहाँ प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा कार्यरत है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर आहरित चेक/लिखत संग्रहण हेतु सीधे ही स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को प्रेषित किए जाएंगे।

iv. अन्य सभी बैंकों के लिए (जो सीटीएस समाशोधन प्रणाली से जुड़ी हुई नहीं है), चेक/लिखत सीधे ही अदाकर्ता शाखा को संग्रहण हेतु प्रेषित किए जाएंगे।

v. बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही राष्ट्रीय समाशोधन सेवाओं का उपयोग ऐसे केन्द्रों पर कर सकेंगी जहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो।

vi. **अन्य बैंकों के सीबीएस नेटवर्क पर आहरित चेक**
बैंक के ग्राहक द्वारा समाशोधन हेतु जमा कराए गए ऐसे बैंकों के सीबीएस चेक, जिन बैंकों की शाखा स्थानीय केन्द्र पर भी कार्यरत हो, की राशि ग्राहक के खाते में सीटीएस समाशोधन प्रणाली के अन्तर्गत उस दिन जमा की जाएगी, जिस दिन सीटीएस समाशोधन प्रणाली से बैंक के खाते में जमा प्राप्त होती है।

4.4 तृतीय पक्षकार चेकों का संग्रहण

बैंक अपने आदाता ग्राहकों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के आदाता के खाते में देय चेकों का संग्रहण नहीं करेगा। तथापि, बैंक ऐसे आदाता खातों में देय चेकों की वसूली करेगा, जो रू. 50,000/–तक की राशि के हों और जो सहकारी ऋण समिति के हों। उपरोक्तानुसार चेकों की वसूली के समय बैंक सम्बद्ध सहकारी ऋण समिति से लिखित में एक स्पष्ट प्रत्यावेदन प्राप्त करेगा कि वसूली के बाद चेकों की प्राप्तियाँ सहकारी ऋण समिति के उस सदस्य के खाते में ही जमा की जाएंगी, जो कि चेक का आदाता नामधारक हो। यह परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 131 सहित उसके सभी प्रावधानों को पूरा करने के अधीन होगा। उपर्युक्त अनुदेश ड्राफ्ट, भुगतान आदेश एवं बैंकर्स चेक पर भी लागू होंगे।

4.5 स्थानीय/बाहरी चेक क्रय करना

बैंक, अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत संग्रहण हेतु प्रस्तुत स्थानीय/बाहरी चेक को ग्राहक के विशिष्ट आवेदन पर क्रय कर सकेगा। चेक संग्रहण हेतु ग्राहक के खाते की संतोषप्रद स्थिति होने के अतिरिक्त चेक जारी करने वाले की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। चेक क्रय करने के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

5. स्थानीय/बाहरी चेक/लिखतों का तत्काल क्रेडिट

स्टाफ सदस्यों सहित व्यक्तिगत खाताधारकों (अवयस्क एवं अप्रवासियों को छोड़ कर) द्वारा उनके ऐसे खातों, जिनमें केवाइसी नियमों की पालना करते हुए न्यूनतम छः माह से खाते का लेन–देन संतोषप्रद हो, में संग्रहण हेतु जमा कराये गये समग्र राशि रू. 20000/–तक के चेक/लिखत तत्काल जमा किए जा सकेंगे। तत्काल जमा की यह सुविधा सभी पात्र बचत बैंक/चालू/नकद

उधार खातों में दी जाएगी एवं मांग ड्राफ्ट/ब्याज/लाभांश पत्र जैसे लिखतों को चेक के समान समझा जाएगा।

तत्काल जमा हेतु इच्छुक ग्राहक से विधिवत अनुरोध प्राप्त किया जाएगा। शाखाएं अपने नोटिस बोर्ड पर बाहरी चेकों के लिए तत्काल जमा योजना के मुख्य बिन्दु जानकारी के लिए प्रदर्शित करेंगी एवं इसे बैंक की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

इस नीति के प्रयोजन से संतोषजनक व्यवहार वाले खाते निम्न होंगे –

(i) खाता कम से कम छः माह पूर्व खोला गया हो एवं केवाइसी मानदण्डों की पालना की गयी हो।
(ii) खाते का व्यवहार संतोषजनक रहा हो एवं बैंक द्वारा अनियमित संव्यवहार संबंधी कोई नोटिस नहीं दिया गया हो।
(iii) जहाँ तत्काल जमा दिये गये कोई चेक/लिखत वित्तीय कारणों से अदत्त न लौटाये गये हों।
(iv) जहाँ पूर्व में तत्काल जमा देने के बाद, अदत्त लौटे चेक सहित अग्रिम या अन्य वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ हो।

6. **<u>तत्काल जमा किए गए चेक/लिखत अदत्त लौटने पर ब्याज प्रभारित किया जाना</u>**

बैंक द्वारा जिस चेक के लिए तत्काल जमा दिया गया हो, ऐसा चेक अदत्त लौट जाने पर चेक के मूल्य की राशि को तत्काल खाते में नामे किया जाएगा।

जिन चेकों के पेटे तत्काल जमा उपलब्ध कराया गया है, ऐसे चेकों के अस्वीकृत होने पर ग्राहक से उतनी अवधि के लिए ब्याज वसूला जाएगा, जितनी अवधि के लिए बैंक निधियों से वंचित रहा हो। इसके लिए व्यक्तिगत ग्राहकों को बेजमानती अधिविकर्ष के लिए ब्याज दर लागू होगी।

यदि बैंक को निधियों के आहरण के कारण निधियों से वंचित न रहना पड़ा हो, तो इसके लिए तत्काल जमा से लिखत को अदत्त लौटाए जाने की तारीख तक के लिए ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा। यदि चेक की प्राप्तियां बचत खाते में जमा की गई हों और आहरित नहीं की गई हों, तो इस प्रकार जमा की गई राशि पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा तथापि उस राशि पर किए गए ब्याज भुगतान को रीवर्स किया जाएगा।

यदि प्राप्तियां किसी ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की गई हों, तो चेक अदत्त लौटाए जाने पर जितनी राशि के लिए बैंक निधियों से वंचित रही हो, उतनी सीमा पर उस खाते में राशि जमा किए जाने की तारीख से प्रविष्टि के रीवर्स किए जाने की तारीख तक उस ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर पर ब्याज की वसूली की जाएगी।

7. **स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों के संग्रहण हेतु समय सीमा**

समाशोधन हेतु प्रस्तुत स्थानीय चेकों के लिए संबंधित ग्राहक के खाते में राशि उस दिन जमा की जाएगी, जिस दिन समाशोधन में फण्ड का निपटान किया जाता है। समाशोधन में चेक लौटाने के लिए लागू रीति के आधार पर खाताधारक को राशि आहरित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

देश में स्थित किसी केन्द्र पर संग्रहण हेतु प्रस्तुत किये गए चेक एवं अन्य लिखत के लिए निम्नानुसार समय सीमा लागू होगी।

(अ) महानगरों एवं राज्यों की राजधानियों (उत्तर पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम के अतिरिक्त) के केन्द्रों पर देय चेकों के संग्रहण हेतु अधिकतम अवधि 7 दिन होगी।

(ब) प्रमुख शहरों पर देय चेकों के संग्रहण हेतु अधिकतम अवधि 10 दिन होगी।

(स) अन्य सभी केन्द्रों पर देय चेकों के लिए अधिकतम संग्रहण अवधि 14 दिन होगी।

उक्त समय–सीमा बैंक की स्वयं की शाखा अथवा अन्य बैंकों की शाखा पर देय सभी चेक/लिखतों के लिए समान रूप से लागू होगी।

8. **बाहरी चेकों/लिखतों के देश में स्थित केन्द्र से संग्रहण में विलम्ब के लिए ब्याज का भुगतान**

चेक संग्रहण में निर्धारित समय–सीमा से अधिक समय लगने पर विलम्बित अवधि हेतु, क्षतिपूर्ति के रूप में बैंक द्वारा ग्राहक को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। विलम्बित अवधि के लिए ऐसे ब्याज का भुगतान, सभी प्रकार के खातों में समान रूप से, ग्राहक द्वारा मांग किए बिना ही अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ब्याज भुगतान करने के संबंध में बैंक की शाखा अथवा अन्य बैंक की शाखा पर देय होने के कारण किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा।

चेक/लिखत के संग्रहण में विलम्ब के लिए ब्याज भुगतान की दर का निर्धारण निम्नानुसार होगा –

(अ) संग्रहण हेतु निर्धारित समय सीमा 7/10/14 दिन के पश्चात 14 दिन तक की विलम्बित अवधि के लिए खाते में बचत बैंक खाते की ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा।

(ब) 14 दिन से अधिक परन्तु अधिकतम 90 दिन तक का विलम्ब होने पर, विलम्बित अवधि के लिए बैंक में लागू आवधिक जमा की ब्याज दर के अनुसार, ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(स) अप्रत्याक्षित विलम्ब अवधि अर्थात 90 दिन से अधिक का विलम्ब होने पर, विलम्बित अवधि हेतु बैंक में लागू आवधिक जमा की ब्याज की दर से 2% अतिरिक्त की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(द) ऐसे मामलों में, जहाँ संग्रहित किये जाने वाले चेक/लिखत की राशि ग्राहक के ओवर–ड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की जाती हो, प्रत्याक्षित विलम्बित अवधि हेतु संबंधित अग्रिम खाते पर प्रभारित की जा रही ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा जबकि अप्रत्याक्षित विलम्ब के लिए, संबंधित अग्रिम खाते पर प्रभारित की जा रही ब्याज दर से 2% अतिरिक्त की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

विलम्बित अवधि के लिए ब्याज भुगतान की उक्त दरें केवल उन चेक/लिखतों के लिए लागू होंगी, जो देश में स्थित किसी केन्द्र से संग्रहित किए जाने हैं।

9. **<u>मार्गस्थ/समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खोए हुए चेक/लिखत</u>**

ऐसी स्थिति में, जब संग्रहण हेतु ग्राहक से प्राप्त किया गया चेक मार्गस्थ/समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो जाए, बैंक की जानकारी में आते ही, खाताधारक को तत्काल इसकी सूचना दी जानी चाहिए ताकि खाताधारक आहर्ता को सूचित कर, चेक/लिखत का भुगतान रोकने की कार्यवाही कर सके। साथ ही, यदि खाताधारक द्वारा पूर्व में अपने खाते का कोई चेक जारी कर दिया गया हो, एवं संग्रहण हेतु प्रेषित (खो गए) चेक की राशि खाते में जमा नहीं होने से, खाते में कम जमा शेष के रहते, जारी किए गए चेक के नकारे जाने की संभावना हो तो ग्राहक इससे पूर्व ही आवश्यक व्यवस्था कर सके।

आहर्ता से डुप्लीकेट चेक प्राप्त करने में बैंक को ग्राहक की हर तरह से मदद करनी चाहिए।

मार्गस्थ/समाशोधन प्रक्रिया में चेक खो जाने पर, बैंक द्वारा ग्राहक को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी –

(अ) यदि ग्राहक को चेक/लिखत खो जाने की सूचना, चेक/लिखत को संग्रहित कराने के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन, जो भी लागू हो) के बाद दी जाती है, तो सूचना देने की विलम्बित अवधि के लिए संग्रहण में विलम्ब हेतु निर्धारित दर से ब्याज भुगतान किया जाएगा।

(ब) सूचना देने में विलम्ब, यदि हो, के लिए ब्याज भुगतान के अतिरिक्त, खाताधारक ग्राहक को डुप्लीकेट चेक जारी कराने एवं उसे संग्रहित कराने में लगने वाले संभावित समय की क्षतिपूर्ति के रूप में, चेक की राशि पर 15 दिन के लिए बचत बैंक खातों हेतु लागू ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा।

(स) ग्राहक द्वारा डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने के लिए व्यय किये गए प्रभार, यथा– किसी बैंक/संस्था से डुप्लीकेट चेक/लिखत जारी कराने हेतु देय फीस आदि अथवा खो गए चेक के लिए अदाकर्ता बैंक को ''भुगतान रोकें'' निर्देश हेतु अदा किए गए प्रभार, की क्षतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी। यदि ग्राहक द्वारा इस हेतु रसीद प्रस्तुत की जाती है।

(द) ऐसे मामलों में, जहाँ चेक/लिखत अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो गया हो, तो चेक/लिखत की हानि के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति की गयी राशि अदाकर्ता बैंक से वसूलने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(य) ऐसे मामलों में, जब चेक/लिखत बिल खरीद द्वारा राशि खाताधारक के खाते में जमा करने के पश्चात खो जाता है, बैंक द्वारा जानकारी में आने के बाद 15 दिन तक ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी ताकि ऋणी को आहर्ता से डुप्लीकेट/लिखत जारी कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यदि ऋणी 15 दिन की अवधि समाप्त होने तक खाते को परिसीमित करने में असफल रहता है तो उससे पूरी राशि वसूल होने तक, अनुबंध की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।

10. <u>मृतक व्यक्ति के नाम के चेक</u>

मृतक व्यक्ति के नाम पर के चेक की वसूली हेतु बैंक मृतक खाताधारक के उत्तरजीवी/यों/नामांकिती से "मृतक श्री.....................की संपदा" नाम से खाता खोलने के प्राधिकार पत्र प्राप्त करेंगें। इसमें मृतक खाताधारक के नाम पर पाइप लाईन में हों, ऐसी सभी प्राप्तियों को जमा करने की भी अनुमति होगी, बशर्ते कोई आहरण न हो।

अथवा

बैंक को उत्तरजीवी/यों/नामांकिती द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा कि वह मार्गस्थ प्राप्तियों को ''खाताधारक मृतक'' टिप्पणी के साथ प्रेषक को वापिस भेज सके और वह उत्तरजीवी/यों/नामांकिती को तदनुसार सूचित करेगा, तब उत्तरजीवी/नामांकिती/कानूनी वारिस प्रेषक से संपर्क करके भुगतान को किसी परक्राम्य लिखत या ईसीएस अंतरण के जरिए उचित लाभार्थी के नाम पर ही भुगतान करें।

11. **अप्रत्याशित घटना**

ऐसे मामलों में, जहाँ अप्रत्याशित घटनाओं, यथा–उपद्रव, कलह, तोड़फोड़, हड़ताल, तालाबन्दी, श्रमिक अशान्ति, आग, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, बैंकिंग सुविधाओं से जुडी मशीनरी को क्षति, संप्रेषण/परिवहन सुविधाओं की कमी, आदि बैंक के नियन्त्रण से बाहर के कारणों से चेक/लिखतों के संग्रहण में विलम्ब हुआ हो, बैंक विलम्बित अवधि के लिए ग्राहक को **क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।**

12. **नकारे गये चेकों को लौटाना**

गोईपोरिया समिति की सिफारिश के अनुरूप, अदाकर्ता बैंक की शाखा द्वारा नकारे गये चेक/लिखत ग्राहकों को बिना विलम्ब किए तुरन्त तथा किसी भी स्थिति में 24 घन्टों के भीतर लौटाया जाएगा। यदि ग्राहक को नकारा गया चेक व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द किया जाना सम्भव नहीं हो, तो पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से चेक/लिखत को लौटाया जाएगा एवं इस हेतु चेक रिटर्निंग मेमो पर चेक नकारे जाने का कारण आवश्यक रूप से अंकित किया जाएगा।

13. **सेवा प्रभार**

सभी वसूली सेवाओं के लिए बैंक समय–समय पर निर्धारित किए गए और बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके ग्राहकों को सूचित किए गए अनुसार उचित सेवा प्रभार वसूल करेगा।

14. **पॉलिसी की समीक्षा की आवधिकता**

यह पॉलिसी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख से **प्रति वर्ष समीक्षा के अधीन तीन वर्ष के लिए** प्रभावी रहेगी।

****